

मूल वाद संख्या 2023/113  
 फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26  
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर.  
 बचन कौर बनाम काका सिंह व अन्य  
 विविध प्रार्थना संख्या 2023/087  
 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम.

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण.	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
04.09.2023	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ द्वारा उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत. वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. दर्ज पंजिका हो। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 06 सितम्बर, 2023 को पेश हो.</p> <p>01/10/23 आज पोंठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/11/23 को पेश हो</p> <p>22/11/23 आज पोंठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/11/23 को पेश हो</p> <p>28/11/23 आज बार सभ न कार्य नहीं करन का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-1-24 को पेश हो</p> <p>22-1-24 आज पोंठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-3-24 को पेश हो</p> <p>05/03/24 आज पोंठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/04/24 को पेश हो</p> <p>19-4-24 आज पोंठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-6-24 को पेश हो</p> <p>3/8/24 आज पोंठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/7/24 को पेश हो</p>	



01/05/25

अधिकांश प्रार्थी उपवृत्त। प्राथमिक  
कार्य लम्बे समय से अप्राथमिक ही  
तलवी हेतु लम्बित चली आ रही है।  
अधिकांश प्रार्थी को मायालय समय  
में कार-2 कर करकर आगे लगे  
पर भी वकील प्रार्थी उपवृत्त। अतः  
कि. प्रा० का 212 एनए 2023/087  
बचन-कार काय का सिद्ध व अन्य  
वकील प्रार्थी की अप्रमत्त। अतः  
दाजरी में वारिज किया जाता है।  
प्राथमिक नस्ली कर ही। प्राथमिक दाय्य  
नम्बर से कर की जाल मिन्दी की  
सूची में शामिल है।